राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
नियम अनुभाग

क्रमांकः– प.15(17)वित्त/नियम/2017 जयपुर, दिनांकः– 13 APR 2023

आदेश

वित्त विभाग से कतिपय प्रकरणों में पूर्ववर्ती वर्ष की रिक्ति के विरूद्ध कार्मिक की पदोन्नति करने पर, ऐसे कार्मिकों को पदोन्नति से पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी एसीपी के लाभ को निरस्त करने एवं भुगतान की गई राशि को वसूल किये जाने के संबंध में विभागों द्वारा समय–समय पर मार्गदर्शन चाहा जा रहा है।

इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि कार्मिक की पूर्ववर्ती वर्ष की रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नति (रिव्यू डीपीसी अथवा नियमित डीपीसी) होने पर ऐसी पदोन्नति पर कार्मिक को रिक्ति दिनांक से कार्यग्रहण तिथि तक काल्पनिक आधार पर वेतन देय किया जाता है। कार्मिक को रिक्ति तिथि से कार्यग्रहण तिथि तक पदोन्नति का वास्तविक लाभ देय नहीं होता है। यदि पूर्व में कार्मिक को पदोन्नति से पूर्व एसीपी योजना का लाभ स्वीकृत किया गया था, तो एसीपी (प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जैसी भी स्थिति हो) के उक्त वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुसार निरस्त योग्य होता है। कार्मिक द्वारा पूर्व में एसीपी योजना के तहत प्राप्त किये गये वेतन व भत्ते की राशि एसीपी निरस्त हो जाने के कारण वसूलनीय हो जाती है। कार्मिकों को ऐसी राशि के वसूल किये जाने पर वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

अतः ऐसे प्रकरण जिनमें पूर्ववर्ती वर्ष की रिक्ति के विरूद्ध एसीपी स्वीकृत किये जाने के पश्चात पदोन्नति (रिव्यू डीपीसी अथवा नियमित डीपीसी) की गई है, उन प्रकरणों में पूर्व में स्वीकृत एसीपी (प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जैसी भी स्थिति हो) को निरस्त किया जाकर पुनः वेतन निर्धारण किया जायेगा तथा कार्मिक को एसीपी स्वीकृत कर भुगतान किये जा चुके वेतन एवं भत्ते, उक्त पदोन्नति के आदेश जारी किये जाने की दिनांक तक अनुज्ञेय रहेंगें। यह अनुज्ञेयता एसीपी एवं पदोन्नति स्वीकृति हेतु अधिकृत प्राधिकारी कार्यालय में पदस्थापित वरिष्ठतम लेखाकर्मी की सलाह से निर्णित होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रोहित गुप्ता)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिवगण।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर ।
9. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर
10. उप निदेशक (सांख्यिकी), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
11. समस्त कोषाधिकारी।
12. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय।
13. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–7) विभाग।
14. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग (कम्प्यूटर सैल)।
15. रक्षित पत्रावली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।

13/4/23

(एस. जेड. शाहिद)
संयुक्त शासन सचिव

(RCS(RP)2017 – 01/2023)